राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प.3(1)शिक्षा–4/2023–00409 जयपुर, दिनांकः ई–हस्ताक्षरित

पब्लिक नोटिस

राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003, समय–समय पर यथा–संशोधित, एवं अन्य लागू विधिक/नियामक प्रावधानों के अधीन संचालित होते हैं।

निजी विश्वविद्यालयों का स्वरूप एकात्मक (Unitary) है। संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों को किसी महाविद्यालय/संस्थान को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान करने अथवा अन्यथा अपने विशेषाधिकार (Privileges) प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई निजी विश्वविद्यालय अपने मुख्य परिसर (Main Campus) के अतिरिक्त राजस्थान राज्य में अथवा राज्य से बाहर देश/विदेश में ऑफ कैम्पस सेन्टर, स्टडी सेन्टर, ऑफशोर कैम्पस/सेन्टर अथवा अन्य किसी नाम से शिक्षण/अध्ययन केन्द्र की स्थापना अथवा संचालन केवल तभी कर सकता है, जब ऐसी स्थापना/संचालन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम, यूजीसी रेगुलेशन्स तथा अन्य लागू नियमों/विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा, यथास्थिति, संबंधित राज्य/देश की सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

अतः समस्त निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विश्वविद्यालय अधिनियम, यूजीसी रेगुलेशन्स तथा राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम नियामक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, विनियमों, मानदण्डों एवं दिशा–निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें तथा बिना अपेक्षित पूर्व अनुमति/अनुमोदन के किसी भी प्रकार के ऑफ कैम्पस सेन्टर, स्टडी सेन्टर, ऑफशोर कैम्पस/सेन्टर आदि की स्थापना अथवा संचालन नहीं करें।

यदि किसी निजी विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में किसी ऑफ कैम्पस सेन्टर, स्टडी सेन्टर, ऑफशोर कैम्पस/सेन्टर अथवा अन्य शिक्षण केन्द्र की स्थापना अथवा संचालन किया जाना पाया जाता है, तो संबंधित विश्वविद्यालय के विरुद्ध लागू विश्वविद्यालय अधिनियम, यूजीसी रेगुलेशन्स तथा अन्य प्रचलित विधिक/नियामक प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

RajKaj Ref No.: 24517152
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar Sharma
Designation : Joint Secretary
Date: 2026.09.16 17:40:08 IST
Reason: Approved

समस्त निजी विश्वविद्यालय इस सार्वजनिक सूचना को अपनी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने तथा विश्वविद्यालय परिसर मे सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर स्थान/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

यह सार्वजनिक सूचना विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आमजन के हित में जारी की जाती है ताकि प्रवेश लेने से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय/केन्द्र की वैधानिक स्थिति एवं सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आवश्यक अनुमतियों का सत्यापन किया जा सके।

भवदीय,

(डॉ मुकेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज.।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान को पालनार्थ।

RajKaj Ref No.: 24517152
M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar Sharma
Designation : Joint Secretary
Date: 2026.09.16 17:40:08 IST
Reason: Approved